

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 2(8)न्याय/87

जयपुर, दिनांक 31-3-21

—:अधिसूचना:—

पारिवारिक न्यायालय (राजस्थान) नियम, 1991 के नियम 8(3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार निम्नांकित व्यक्तियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित पारिवारिक न्यायालय के परामर्शदाता के रूप में, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त/ प्राधिकृत करती है:-

S.No.	Name of the Counsellor (Recommended)	Family Court
1	Anita Shah D/O Late Shri Kesharimal Shah	Banswara
2	Vikas Pathak S/O Hetlal Pathak	Banswara
3	Smt. Rachana Singh w/o Shri Yogendra Singh	Bharatpur
4	Smt. Mamta Sharma w/o Shri Bhudev Sharma	Bharatpur
5	Shri Ram Dutt Shrotri S/O Late Shri Ram Swaroop Shrotri	Dholpur

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

— E —

(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार प्रशासन, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. समस्त जिला कलेक्टर/ जिला एवं सेशन न्यायाधीश/ पुलिस अधीक्षक, राजस्थान सरकार।
8. समस्त पारिवारिक न्यायालय, राजस्थान सरकार।
9. शासन सचिव, विधि राजकीय वादकरण।
10. महानिदेशक आरक्षी/ जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को राजपत्र के विशेषक में प्रकाशनार्थ।
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव